



RNB

GLOBAL UNIVERSITY

Educating stars for tomorrow

2.1.2.

Caste Certificates

2020-21

2016-2021

SSR : 1st Cycle of Accreditation

RNB GLOBAL UNIVERSITY

RNB Global City, Ganganagar Road,
Bikaner, Rajasthan 334601

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र *

सं. R/3/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/5773
23-03-2015

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदित्य गिरधर पुत्र श्री राजेश कुमार गिरधर निवासी- सूरसागर तालाब के पास, नगर निगम रोड, बीकानेर, जिला/खण्ड बीकानेर में स्थाई तौर से निवास करता है।

राजस्थान सरकार के कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक-

स-11(125)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./52307 दिनांक 06.08.1994, 12098 दिनांक 15.03.1997, 74085 दिनांक 03.11.1999,
स-11(125)3(4)(5)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./99/75681 दिनांक 12.11.1999,
स-11(125)(6)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./01 दिनांक 01.01.2000, 153 दिनांक 02.01.2000, 459 दिनांक 10.01.2000, 22821 दिनांक 26.06.2001, 417, 45 दिनांक 20.08.2001,

एक-11(125)(10)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./2002, 26706 दिनांक 24.06.2002,

एक-11(125)(10)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./2002/26832 दिनांक 2002,

एक-11(164)अर.एण्ड.सी./स.क.वि./09/47032 दिनांक 25.08.2009

अधिसूचना राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्ग संख्या व जाति 66 स्वामी के सदस्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना सं.प.9(8) कार्मिक-क-5/90 दिनांक 10.10.2008 के साथ उपाबन्ध अनुसूची के कालिम 3 में उल्लेखित उप वर्ग का नियम उस पर लागू नहीं होता है अर्थात उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों के क्रीमीलेयर का नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकाधिकार विभाग की अधिसूचना सं.एक 21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपरोक्त कथने गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. जारी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात चित्रों के सम्बन्धित इटल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय में विपिडब/पडिथब के लिए उपरोक्त होगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. जारी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
Joshi Naren Kumar
Date: 2015.03.23
00:32:20 +05:30
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1503053310122110



Bika 20 1 20658 16

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगाढ़, (झुंझुनू)
जिला - झुंझुनू
सामान्य जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/सामान्य विभाग/ सामान्य जाति प्रमाण - पत्र /20327310343
दिनांक: 31-12-2020

कार्यों के कार्रवाई-पत्र, कपड़-पत्र एवं पटवारी हस्ता (दस्तावेजी समूहों व विभिन्न साक्षात्पत्रों) की रिपोर्ट के आधार पर कार्यों श्री गिरिराम सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी - देवीपुरा जाति - राजपूत GENERAL (सामान्य) समुदाय का/की सदस्य है।

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक 31-12-2020 को मेरे डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एक 21(37) एम जे ई /कम्प्यू /ई जी /08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।

3. कार्यों द्वारा समुचित किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विमके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होने।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों से भिदे मान्य है।

5. कार्यों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सम्बन्धित www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोल फ्री संख्या: 200340290940

उपखण्ड अधिकारी, नवलगाढ़, (झुंझुनू)



Signature valid


Digitally signed by Karan Kumar

Designation: Tehsildar

Date: 2020.12.31 15:36:31 realm3 Shot on realm X7 5G

Reason: Approval

2022-04-27 15:36



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा, (हनुमानगढ़)
जिला - हनुमानगढ़
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /19170107641
दिनांक: 15-02-2019

आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक / परिवार के मुखिया का धामाशाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुनी पूजा गिल पुत्र/पुत्री श्री बालराम गिल राजस्थान राज्य के जिला हनुमानगढ़ पता- खेडू तह-भादरा, जिला-हनुमानगढ़ के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ बसाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सुनी पूजा गिल राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर एण्ड /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAI (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुनी पूजा गिल आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संघर्षी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./सम्पु./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियात्मक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात दिने के सम्बंधित प्रदेन अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर में यह जारी कियावेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः, सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या: 190177678776

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अर्थात केंद्रों में निरुद्धियों और चर्चा/अन्य राज्य की वैधित्वात्मकता के लिये वे आवेदन के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा, हनुमानगढ़



Signature valid

Digitally signed by
Rajkumar Kaswa
Date: 2019.02.15 13:44:33
+05:30
Reason: 4000000001



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगाढ़, (झुंझुनू)
ज़िला - झुंझुनू
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /20290158705
दिनांक: 11-08-2020
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक / परिवार के मुखिया का प्रामाणिक कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री पंकज सैनी पुत्र/पुत्री श्री रामस्वरूप सैनी राजस्थान राज्य के जिला झुंझुनू पता- कार्ड न 02 मोहद्वयतसर चेलासी नवलगाढ़ के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री पंकज सैनी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना स.प. 11(164) अतर एण्ड पी. एस. जे. ई. डी. /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 49 MALL (49 माली) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री पंकज सैनी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यात्मक (क-2) विभाग की अधिसूचना स.प. 7 (8) कार्यात्मक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस.जे. ई. /कम्प्यू. /ई.पी. /08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करवाये गये ई-दस्तावेज़ात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्यात्मक किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ात जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के निचे मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 200302201383

*राज्य के पिछड़े वर्ग के निचे राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ राज्य की वैश्विक सम्मानों से सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगाढ़, (झुंझुनू)



Signature valid

Digitally signed by INDRAJ
SINGH
Date: 2020.08.11 18:15:45
+05:30
Reason: approved



बिहार सरकार

फॉर्म-VII

भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण-पत्र
कार्यालय का नाम: अंचल कार्यालय नगरा

प्रमाण-पत्र सं.: BOBCCO/2022/13268

दिनांक: 22/02/2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नीरज कुमार(Niraj Kumar), पिता का नाम- रमेश कुमार, माता का नाम- गीता देवी, ग्राम/मुहल्ला- अफौर, पोस्ट- अफौर पोस्ट
ऑफिस, थाना- खैरा, प्रखण्ड- नगरा, अनुमंडल- सारण सदर, जिला- सारण, राज्य बिहार के हिन्दू/ मुस्लिम धर्म अन्तर्गत माली (मालाकार) जाति के सदस्य है, जिसे
निम्नानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/168/93 बी.सी.टी (बी.) दिनांक 10-9-1993 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-186, दिनांक 13-9-1993 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/9/94 बी.सी.टी दिनांक 19-10-1994 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-163, दिनांक 20-10-1994 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/7/95 बी.सी.टी दिनांक 24-5-1995 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-88, दिनांक 25-5-1995 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/96/94 बी.सी.टी दिनांक 9-3-1996 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-60, दिनांक 10-3-1996 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/44/96 बी.सी.टी दिनांक 6-12-1996 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-210, दिनांक 11-12-1996 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/99/94 बी.सी.टी दिनांक 11-12-1997 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-239, दिनांक 12-12-1997 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, कल्याण मंडला के संरक्षण संवत्- 1201/1/3/97 बी.सी.टी दिनांक 3-12-1997 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-220, दिनांक 17-12-1997 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/58/98 बी.सी.टी दिनांक 27-10-1999 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-241, दिनांक 27-10-1999 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/58/98 बी.सी.टी दिनांक 6-12-1999 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-270, दिनांक 6-12-1999 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/36/99 बी.सी.टी दिनांक 04-04-2000 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-71, दिनांक 04-04-2000 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/44/99 बी.सी.टी दिनांक 21-09-2000 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-210, दिनांक 21-09-2000 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/09/2000 बी.सी.टी दिनांक 06-12-2001 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-246, दिनांक 6-12-2001 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/1/2001 बी.सी.टी दिनांक 19-06-2003 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-151, दिनांक 20-06-2003 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/4/2002 बी.सी.टी दिनांक 13-01-2004 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-9, दिनांक 13-01-2004 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।
- ⊗ भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकाधिकार मंत्रालय के संरक्षण संवत्- 1201/1/14/2004 बी.सी.टी दिनांक 12-03-2007 को भारत सरकार के राज्य के असाधारण पद के पार-1 खण्ड-1 संवत्-67, दिनांक 12-03-2007 के आदेश में पदग्रहण किए गए हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नीरज कुमार एवं इनके परिवार सामान्यतः ग्राम/मुहल्ला- अफौर, पोस्ट- अफौर पोस्ट ऑफिस, थाना- खैरा, प्रखण्ड- नगरा, अनुमंडल-
सारण सदर, जिला-सारण राज्य बिहार के निवासी है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-
36012/22/1993, स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या-36033/3/2004 स्था. (आ.) दिनांक 9-3-2004 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-
36033/03/2004 स्था. (आ.) दिनांक 14-10-2008 के स्तम्भ-3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग "क्रीमी लेयर" के अन्तर्गत नहीं आते/आती है।

स्थान: नगरा

दिनांक: 22/02/2022

Digitally signed by KUMAR SAURAV
Date: 2022.02.22 10:49:14 +05:30

राजस्व अधिकारी, नगरा



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, (बारा)
जिला - बारा
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ-2017-राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग, 19175544999
दिनांक: 28-02-2019
आवेदक का आधार नम्बर: 804328063732
आवेदक / परिवार के मुखिया का भागाधार कार्ड संख्या: 9999-SGV1-00152

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- 01 श्री कोशल पुत्र/पुत्री श्री बाबूलाल सुमन राजस्थान राज्य के जिला बारा पता: वार्ड 7 अहमदी, अहमदी, बजरगाव, किशनगंज, बारा के, की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री कोशल राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प 11(164) आर एण्ड पी./एम जे ई डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 49 MALL (49 माली) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री कोशल आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प.7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट

- 1 राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एस जे ई/कम्प्यू/ई जी. 08.09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्रवाई किया जा सकेगा।
- 3 धार्मी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टस्तावेजात जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यन्वय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कावों के निचे मान्य है।
- 5 धार्मी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 190183344508

राज्य के पिछड़े वर्ग के श्रेणियों राजस्थान सरकार के जालीन सेवाओं में निम्नलिखित 07 पदों तक राज्य की विभिन्न संस्थानों में सेवाओं में कार्यरत के अयोग्यता है।

उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, बारा

Signat

Digitally signed by
CHANDAN DUBEY
Date: 2019.02.28 16:01:01
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMKH 0511819



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म - IV

कार्यालय का नाम

जिला : नालंदा, अनुमंडल : विहारशरीफ, प्रखंड : विहारशरीफ

पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

(बिहार सरकार के प्रसूचिकार्षी)

आवेदन संख्या : 040718271091601090

दिनांक : 22/01/2016

प्रमाण-पत्र संख्या : C/16/01152

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी नेहा राज Sri/Smt./Kumari NEHA RAJ जिला/जिला/श्री/श्रीमती/कुमारी सुनील कुमार Father/Husband/Sri SUNILKUMAR माता/श्रीमती/कुमारी निरजा सिन्हा Mother/Smt. KUMARI NIRJA SINHA ग्राम/नगर चौधरी कॉलोनी नई सराय Village/Town CHAUDHRY COLONEY NAI SARAY प्रखंड विहारशरीफ पोस्ट बिहार शरीफ जिला विहारशरीफ अनुमंडल विहारशरीफ जिला नालंदा राज्य बिहार कुर्मी गणराज के सदस्य है, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में अरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 समकाल पर पंचासशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक 35 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी नेहा राज पुत्र/कुमारी सुनील कुमार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-2) का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी नेहा राज एवं उनका परिवार गाँव/नगर चौधरी कॉलोनी नई सराय प्रखंड विहारशरीफ पोस्ट अखिल बिहार शरीफ जिला विहारशरीफ अनुमंडल विहारशरीफ जिला नालंदा राज्य बिहार में निवास करते हैं।

स्वान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम



(मुहर बाँटित)
बिहार राज्य



Handwritten signature and date 22/01/16



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा, (झुंझुनु)
ज़िला - झुंझुनु
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /21336077557
दिनांक: 05-02-2021
आवेदक का आधार नम्बर:
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 सुश्री अंजली बुडानिया पुत्र/पुत्री श्री वीर बहादुर राजस्थान राज्य के जिला झुंझुनु पता- बुडानिया के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सुश्री अंजली बुडानिया राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) अर. एण्ड पी./एस.ने.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुश्री अंजली बुडानिया आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

- 1: राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.ने.ई./कम्प्यू./ई.बी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2: उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र वापस किया जा सकेगा।
- 3: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ों जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4: यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5: प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर क्लिक ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टॉकन संख्या: 210349305709

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के जारिन वेब.सी में विचारपूर्वक और एप.उप.संख्या 001 से अधिक संख्याओं में सीटों में अरक्षण के प्रयोक्ता हैं।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा, (झुंझुनु)



Signature valid

Digitally signed by
Sandeep Chaudhary
Date: 2021.02.05 14:32:45
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMKH 6733852

* जाति प्रमाण-पत्र *

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पुष्पम बर्मा
 पुत्र/पुत्री... श्री अश कुशर वर्मा निवासी ब्योफानर... जिला ब्योफानर
 प्रदेश... राजस्थान... जाति/जनजाति... दानक... के है भारतीय
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1959 तथा भारतीय संविधान (अनुसूचित जाति)
 आदेश, 1956 (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सूची नवीनीकरण आदेश, 1956
 के संशोधनों सहित) बम्बई पुनगठन एक्ट, 1950, पंजाब पुनगठन एक्ट, 1955 हिमाचल
 प्रदेश राज्य एक्ट, 1970 तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र पुनगठन एक्ट, 1971 के अन्तर्गत
 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति है।



दिनांक... 22/1-05

तहसील बहस्ताक्षर (राजस्थान)
 पद व कार्यालयिक क्रम सहित





RNB

GLOBAL UNIVERSITY

Educating stars for tomorrow

2.1.2.

Caste Certificates

2019-20

2016-2021

SSR : 1st Cycle of Accreditation

RNB GLOBAL UNIVERSITY

RNB Global City, Ganganagar Road,
Bikaner, Rajasthan 334601

ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, जायल, (नागौर)
जिला - नागौर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /19209005483
दिनांक: 17-07-2019
आवेदक का आधार नम्बर: 318028429918
आवेदक / परिवार के मुखिया का आधारसाह कार्ड संख्या : 9900-GHOG-00002

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 सुनी अमीषा सांगवा पुत्र/पुत्री श्री सुरेश सांगवा राजस्थान राज्य के जिला नागौर पता- भुलगढा बास गॉय तरनाऊ तहसील जायल जिला नागौर, तरनाऊ, जायल, नागौर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 एक सुनी अमीषा सांगवा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) अर. एण्ड पी./एस जे ई डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 एक सुनी अमीषा सांगवा अधिसूचना हेतु उक्त वर्ग के किमीनेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यालय (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्यालय/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित शर्तियों के मापदण्ड के अनुसार किमीनेयर (सम्यक् वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

- 1. राजस्थान सरकार के सामाजिक-न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एक.21(37) एस जे ई/सम्यक् /ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किंवा इसके द्वारा उद्देश्य करने वाले हैं, दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र अमान्य किया जा सकता है।
- 3. प्रामाणिकता के लिए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों के सम्बंधित प्रत्येक अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। जहाँ सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5. शर्तों को जारी किये नये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 190218284412

*पत्र के निम्ने वर्ग के लिए सम्बन्धित कक्षा के ज्योन सेनको से विधिको और पट्टे तला राज्य की वैधिक संस्था में सीटो में अलग से उपलब्ध है।

उपखण्ड अधिकारी, जायल, (नागौर)

Signature valid

Digitally signed by
SURESH KUMAR
Date: 2019.07.17 11:59:22
+05:30
Reason: I have approved
Location: Rajasthan
62880035



ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र ई-मित्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी (जयपुर)
जिला - जयपुर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग / 19188911083
दिनांक: 05-04-2019
आवेदक का आधार नम्बर: 949028086055
आवेदक / परिवार के मुखिया का नामावाह कार्ड संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

01 सुश्री मधु चौधरी पुत्र/पुत्री श्री हनुमान महाय जाट राजस्थान राज्य के जिला जयपुर पला- घान- गौठडा, पोस्ट- जटवाडा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, 303305, राजस्थान के/की निवासी हैं तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्टाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त सुश्री मधु चौधरी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(16-4) आर.एण्ड पी.एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिपूरा व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त सुश्री मधु चौधरी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के डिमीलेटर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार डिमीलेटर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एफ.जे.ई./कम्प्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करने वाले ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।

3. बावर्दी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजों मिले के सम्बन्धित प्रत्येक अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध हूँगे।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। इस बावर्दी कार्यों के निबन्ध समझे हैं।

5. बावर्दी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या: 190107189673

*राज्य के पिछड़े वर्ग के विभिन्न श्रेणियों के अर्थीन सेक्टरों में निवृत्तियों और पढ़ी गयी राज्य की वैधित्व संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोगकर्ता।

उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, (जयपुर)



Signat

Digitally signed by KUMAR VERMA
Date: 19.04.2019 12:16:27
+05:30
Reason: I am the author
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा (वाडमेर)
जिला - वाडमेर



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विधान, अन्य पिछड़ा वर्ग : 19187640083
दिनांक: 27-03-2019
आवेदक का आधार नम्बर: 307431714640
आवेदक / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड नम्बर: 1207-12FD-21585

यह प्रमाणित किया जाता है कि

01 श्री गोविन्द सिंह पुत्र/पुत्री श्री देव सिंह राजस्थान राज्य के जिला वाडमेर वडा - 849, देव सिंह रावों का वास असादा, देव सिंह रावों का वास असादा असादा बालोतरा, वाडमेर के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब वर्ग स्वयं रूप से प्रमाणित करता है/करती है/करते है।

02 उक्त श्री गोविन्द सिंह राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. 321/2009 अतः संख्य. टी/एस जे ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचना अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 3 RAO (3 राव) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री गोविन्द सिंह आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के प्रिमीयेयर सदस्य राज्य सरकार के कारिनक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. 7(8)कारिनक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित शर्तियों के मापदण्ड के अनुसार किर्मीसेय (समस्त वर्ग) का की नहीं है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एफ.21(37) एन.जे.ई. संख्या ई.जी. 00-09 73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेज की प्रमांनिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए नून आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित टस्तावेज बिना के सम्बन्धित प्रदत्त अधिकारी विभाग द्वारा प्रमाणित किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परिष्करण के लिए उपलब्ध होगा।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 190195873291

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन वेब.जे.ई.के. सिस्टिम और एट.सी.एस.के.के. सिस्टिम के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा (वाडमेर)



Signature valid

Digitally signed by KOMAR
ROHIT
Date: 2019.03.27 16:58:23
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan
5350444



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/18120817687
दिनांक: 21-06-2018

आवेदक का आधार नम्बर :

आवेदक / परिवार के मुखिया का भागाशाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री मनीष भाट्ट पुत्र/पुत्री श्री भगत सिंह भाट्ट राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- लूनकरनसर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री मनीष भाट्ट राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी /एस.जे.ई.डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री मनीष भाट्ट आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7 (8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र धारित किया जा सकेगा।
- 3 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिसे के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर में यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 180125437799

राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन संस्थाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की वैध संस्थानों में सार्वजनिक पदों के पर्याप्तता के लिये।

This Certificate is Electronically
Signed By
RATANLALSWAMI
उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर, बीकानेर



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
मूल निवास प्रमाण-पत्र



क्रमांक : RJ/2017 राजस्थान विभाग, मूल निवास प्रमाण-पत्र 18146121018
दिनांक : 02-11-2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहित वर्मा पुत्र पुत्री पत्नी श्री मनोज कुमार निवास - मोखा रोड नारायण का मोहनलाल के पास सम्पत पैलेस के सामने गंगाशहर बीकानेर, राजस्थान का, की मूल निवासी है।

आज दिनांक 02-11-2018 को यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया।

नोट

1. राजस्थान सरकार के गृह (घुप-9) विभाग की अधिसूचना संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट-2 दिनांक 17.12.2009 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. राजस्थान सरकार के गृह (घुप-9) विभाग की आज्ञा संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के तहत जिला कलेक्टर, उपरक्त अधिकारी, सहायक विभागीय व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
3. उक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र वैधपिण्ड और तकनीकी शिक्षा समस्याओं में प्रवेश, योग्यता प्रत्यक्षता के लिए आवेदन करने, केन्द्र, राज्य सेवाओं में नियोजन प्रयोजनों एवं भूमि आदि के आवेदन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज बिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जाएगा के कार्यालय में निरीक्षण/वैधिकता के लिए उपलब्ध होंगे।
5. मूल निवास एक बार ही बनाया जाएगा। प्रेषित प्रमाण-पत्र मूल हो जाने या अतिरिक्त हो जाने पर टोहरी प्रति, प्रमाण-पत्र में नाम या पता बदलने पर सम्बंधित प्रति तथा व्यक्त व्यक्ति के अनुसार बदलाव के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण-पत्र दस वर्ष के अवधि तक ही किया जा सकता है) बनवाया जा सकता है।
6. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र की सम्बंधित प्रति का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
7. प्रार्थी को जारी किये गये मूल निवास प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.eMitraRajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION के Online सम्बंधित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या : 180154106451

कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by
SUMITRA BISHNOI
Date: 2018.11.02 17:09:15
+05'30'
Reason: Approved
Location: Rajasthan



4398622

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, (नागौर)
ज़िला - नागौर



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग / अन्य पिछड़ा वर्ग / 19186529020

दिनांक: 27-03-2019

आवेदक का आधार नम्बर : 294470213078

आवेदक / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि

01 श्री लोकेश कुमार पुत्र पुत्री श्री देवा राज सुरजीया राजस्थान राज्य के जिला नागौर पला- सानू के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त श्री लोकेश कुमार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प 11(164) आर.एण्ड पी /एच जे ई डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री लोकेश कुमार आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के डिप्लोमेटर सचपी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित ब्रेगियो के सॉफ्टवेड के अनुभूत किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं एक 21(37) एच जे ई. (कम्प्यू ई डी) 08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 से द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की सत्यापन के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : इसी द्वारा प्रस्तुत किये गए पुन आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों के सम्बंधित इतर अधिकारी नियुक्त हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय में विभिन्न परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : इसी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.tajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या : 190194737004

*यहां के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के आदेश संकली में निर्दिष्ट और यहाँ उक्त राज्य की वेबसाइट पर जारी गये आरक्षण के प्रावधानों।

उपखण्ड अधिकारी, डेगाना, (नागौर)



Signature valid

Digitally signed by
RICHPAL SINGH BULDAK
Date: 2019.03.27 12:54:47
+05:30
Reason: Approved
1823d80t, Rajasthan



e-Mitra

सदरमान सख्तार
कार्यालय उपसहय अतिरिक्त, बीदागर, (गुरु)
जिला - गुरु
राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग का प्रकाश-पत्र



संख्या: RJ/2017, राजस्थान विभाग/अन्य विद्यार्थी वर्ग / 18140322279
दिनांक: 17-10-2018
आवेदन का अन्तर संख्या: 201310045218
आवेदन / परिवार के सदस्य का आधारकार्ड जारी करना :

- यह प्रकाशित किया जाना है कि
- 01 - सभी टोपटी एवं पत्रों की कोरने एवं साक्षरता राज्य के विभाग गुरु प्रका. गांधी सोनियाल उद्देश्यकालन , केन्द्रितर, नयाँल शोधनर जिला गुरु के/की नियन्त्री है तथा ये और या इनका कुटुम्ब कार्य कराई रूप से किया जाता है/करते है/करते है
 - 02 - उन सभी टोपटी एवं प्रकाश के साक्षात्कार एवं अधिवर्ती विभाग की अधिवर्ती सं.प 11164) आर एन.पी. सं.प 00, 47012 दिनांक 25.08.2009 से अधिवर्ती राजस्थान राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्गों की अधिवर्ती व अधिवर्ती सभी में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28) जाट वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
 - 03 - उन सभी टोपटी आरक्षण हेतु उन वर्ग के किशोर/का सभी एवं प्रकाश के निर्दिष्ट (क-2) विभाग की अधिवर्ती सं.प 7 (8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 से प्रवर्तित अधिवर्ती के अन्तर्गत के अनुसूचित जाति/जाति (अनुसू. जा.) का/की नहीं है।

- बत:
- 1 - राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिवर्ती विभाग की अधिवर्ती सं.प 21(17) एन.पी. सं.प 00-00/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रकाश-पत्र जारी करने हेतु निर्दिष्ट हुनाहार के उपयोग को सन्तुष्टा प्रदान की गयी है।
 - 2 - उपरोक्त प्रकाश-पत्र विद्यार्थी द्वारा उपसहय सख्तार से सहे है-दस्तावेज के अन्तर्गत जारी किया गया है। दस्तावेज की प्रमाणीकता के अन्तर्गत में कोई विकल्प होने का प्रकाश-पत्र साक्षरता किया जा सकेगा।
 - 3 - सभी द्वारा अनुसूचित जाति एवं गुरु आवेदन एवं एवं सामाजिक दस्तावेज सहे के साक्षरता एवं अधिवर्ती निर्दिष्ट हुनाहार से सहे गयी बिना प्रयोग के साक्षरता में निर्दिष्ट, परिश्रम के लिए उपसहय होने।
 - 4 - सहे प्रकाश-पत्र निर्दिष्ट हुनाहारित है। एवं सभी वर्गों के निर्दिष्ट सन्ध है।
 - 5 - सभी को जारी किए गये प्रकाश-पत्र का प्रकाश www.emitra.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन VERIFICATION SECTION में Online सन्धरित किया जा सकता है। सहे संख्या: 180455792795
- राज्य के अन्य वर्ग के/की प्रकाश-पत्र, क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 से प्रवर्तित अधिवर्ती के अन्तर्गत के अनुसूचित जाति/जाति (अनुसू. जा.) का/की नहीं है।

उपसहय अतिरिक्त, बीदागर, (गुरु)

Signature valid

Digitally signed by
CMPRAKASH VERMA
Date: 2018.10.17 17:13:20
+05.30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/22455091436
दिनांक: 05-07-2022
आवेदक का आधार नम्बर: 751235529720
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 सुश्री आर्ची सोनी पुत्र/पुत्री श्री महेश सोनी, माता का नाम - श्रीमती संतोष सोनी, राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- हूडी धर्म काटे के पीछे वैध मधाराम कॉलोनी, बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त सुश्री आर्ची सोनी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 74 SONI (74 सोनी) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुश्री आर्ची सोनी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.ने.ई./कम्प्यू./ई.बी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.eamitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टॉकन संख्या: 220471832897

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन वेब.पी.ओ. में विमुक्तियों और पदों तथा राज्य की वैदिक सभ्यताओं में सीटी व आरक्षण के प्रयोगकर्ता।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signat

Digitally signed by ANHOK
KUMAR
Date: 2022.07.05 18:46:10
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार * राजस्थान सरकार * राजस्थान सरकार * राजस्थान सरकार * राजस्थान सरकार



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, घरसाना, (श्री गंगानगर)
जिला - श्रीगंगानगर



राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग का भ्रमण-पत्र

संख्या: RJ/2017/राज्य विद्यालय/अन्य विद्यालय वर्ग /18100/283968

दिनांक 12-04-2018

आवेदक का आधार नम्बर : 545122432041

आवेदक / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड काई संख्या : 0000-LJEP-00123

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

01- श्री श्रीरज मिश्रा जी पुत्र, सुशी श्री मन्मथ राम राजस्थान राज्य के जिला श्रीगंगानगर पता- 2 केचम के/ श्री दिवादी है एवं वे जीए का इनका कुटुम्ब चर्च नकार कर से निकाल करार है/ करती है/ करती है।

02- उक्त श्री श्रीरज मिश्रा जी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय अधिकांश विभाग की अधिवृत्त सं.प 11(10-4) कार एण्ड पी.एच.के.ई.डी. 09/47032 दिनांक 25/08/2009 से अधिपति प्राप्त प्राप्त राज्य के अ- विद्यार्थी वर्ग की अधिवृत्त से अधिपति सूची में सम्मिलित नहीं है 78 VISITORS (78 विद्यार्थी) वर्ग/ शक्ति के/ की शक्ति है।

03- उक्त श्री श्रीरज मिश्रा जी का उक्त वर्ग के विद्यार्थी वर्ग के सामाजिक न्याय अधिकांश विभाग की अधिवृत्त सं.प 11(10-4) कार एण्ड पी.एच.के.ई.डी. 09/47032 दिनांक 25/08/2009 से अधिपति प्राप्त प्राप्त राज्य के अ- विद्यार्थी वर्ग की अधिवृत्त सूची में सम्मिलित नहीं है 78 VISITORS (78 विद्यार्थी) वर्ग/ शक्ति के/ की शक्ति है।

नोट-

1- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकांश विभाग की अधिवृत्त सं.प 21(37) सं.प के/ सं.प सं.प 08-09/73710 दिनांक 08/12/2017 से उक्त शक्ति प्राप्त कर जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को आवश्यक माना जा रहा है।

2- उपरोक्त इनका-अन्य विद्यार्थी वर्ग का उपरोक्त शक्ति सं.प- राजस्थान सरकार के अधिकांश विभाग की अधिवृत्त सं.प 11(10-4) कार एण्ड पी.एच.के.ई.डी. 09/47032 दिनांक 25/08/2009 से अधिपति प्राप्त प्राप्त राज्य के अ- विद्यार्थी वर्ग की अधिवृत्त सूची में सम्मिलित नहीं है 78 VISITORS (78 विद्यार्थी) वर्ग/ शक्ति के/ की शक्ति है।

3- कार्य हेतु प्राप्त कि यह सूची अधिकांश सं.प 11(10-4) कार एण्ड पी.एच.के.ई.डी. 09/47032 दिनांक 25/08/2009 से अधिपति प्राप्त प्राप्त राज्य के अ- विद्यार्थी वर्ग की अधिवृत्त सूची में सम्मिलित नहीं है 78 VISITORS (78 विद्यार्थी) वर्ग/ शक्ति के/ की शक्ति है।

4- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर है। इस कार्य काई के डिजिटल है।

5- कार्य को जारी किए गए प्रमाण-पत्र का उपयोग www.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर ऑनलाइन VERIFICATION SECTION से Online में किया जा सकता है। संपर्क नम्बर- 1800424762

*यदि वे विद्यार्थी वर्ग के विद्यार्थी वर्ग का उपरोक्त शक्ति सं.प- राजस्थान सरकार के अधिकांश विभाग की अधिवृत्त सं.प 11(10-4) कार एण्ड पी.एच.के.ई.डी. 09/47032 दिनांक 25/08/2009 से अधिपति प्राप्त प्राप्त राज्य के अ- विद्यार्थी वर्ग की अधिवृत्त सूची में सम्मिलित नहीं है 78 VISITORS (78 विद्यार्थी) वर्ग/ शक्ति के/ की शक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी, घरसाना, (श्री गंगानगर)

Signature valid

Digitally signed by: Sreeo
Ram Verma
Date: 2018.04.12 18:59:38
+05:30
Reason: Approved
18029794





क्रमांक KJ16/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/7661
दिनांक 24-08-2016

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण
जिला- जैसलमेर



* राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण-पत्र *

आवेदक का आधार नम्बर : NA

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : 9999MAAX00061

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री नारायण राम राजस्थान राज्य के जिला जैसलमेर पता- जालुवाला, तहसील-पोकरण, जिला-जैसलमेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री सुनिल कुमार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11 (164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 78 विश्णोई वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री सुनिल कुमार आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एक 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी भ्रामा-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त भ्रामा-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर भ्रामा-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. शर्तों द्वारा प्रस्तुत किये गए सूत्र आवेदन पर एक सम्बंधित दस्तावेजों जिनके सम्बंधित प्रतियाँ अधिकारी निम्नके दस्तावेज से सह जारी किया जावेगा के कार्यालय में भित्तिका/रीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह भ्रामा-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी वर्गों के लिये मान्य है।
5. शर्तों को जारी किये गये भ्रामा-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

* राज्य के पिछड़े वर्गों के लिये राजस्थान सरकार के ज्यूनियर सेबाओ के विधिकरणों और इतने तथा राज्य की स्थिति संस्थाओं में लैडों में अर्थव्यय के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, पोकरण

Signature valid

Digitally signed by
Chetan Deshmukh
Date: 2016.08.24
00:57:00 +05:30
Reason: GCM
Location: Rajasthan



1616051710060212



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीकानेर, (भीकानेर)
ज़िला - भीकानेर



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /18137050907

दिनांक: 31-08-2018

आवेदक का आधार नम्बर : 202677114063

आवेदक / परिवार के मुखिया का भामासाह कार्ड संख्या : 0000-1111-25745

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री सुभाष प्रजापत पुत्र/पुत्री श्री भोंवर भाल प्रजापत राजस्थान राज्य के जिला भीकानेर पता - 1047, पत्नी श्री भोंवर भाल प्रजापत गुमानजी की धक्री, माधुर पब्लिक स्कूल के पास नगुरार बास , माधुर पब्लिक स्कूल के पास नगुरार बास, घाई न - 5, गुमानजी की धक्री, भीकानेर के/की नियारी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ रघाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री सुभाष प्रजापत राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित य अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 KUMHAR (PRAJAPATI) (41 कुम्हार (प्रजापति)) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री सुभाष प्रजापत आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के शिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार शिमीलेयर (सम्बन्ध वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात त्रिभे के सम्बंधित प्रदेन अधिकारी निराके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emlira.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180143040968

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेक्टरों में नियुक्तियों और वर्तों तथा राज्य की वैयक्तिक संस्थानों में भीटी से आरक्षण के प्रयोगकर्ता है।

उपखण्ड अधिकारी, भीकानेर, (भीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by
MONIKA BALARA
Date: 2018.08.31 18:04:50
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



S 521456

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/18086203758
दिनांक: 09-02-2018
आवेदक का आधार नम्बर : 809739559772
आवेदक / परिवार के मुखिया का धावासाह कार्ड संख्या : 9999-JPTA-00837

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 सुश्री दिव्या सोलंकी पुत्र/पुत्री श्री लाल चन्द सोलंकी राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- दक्षिण अनाज मंटी गेट के पास इंदिरा कॉलोनी बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त सुश्री दिव्या सोलंकी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी.एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 49 MALL (49 माली) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त सुश्री दिव्या सोलंकी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किन्नीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किन्नीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 - 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ान के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ान की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
 - 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ान जिन के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विषयके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 - 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये यह प्रमाण-पत्र ही प्रयोग में आयेगा।
 - 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.e-governance.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री नम्बर : 1800-309464379
- *राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवा में आने वाले अधिकारियों का राज्य की वैधिका संस्थानों से सीटों में आसक्ति के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by MANU
RAM SAINI
Date: 2018.02.09 11:30:00
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan
S 1906 219





राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, घरसाना, (श्री गंगानगर)
जिला - श्री गंगानगर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति पत्र प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /21373453608
दिनांक: 08-09-2021
आवेदक का आधार नम्बर : 759771173891
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : null

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र/पुत्री श्री केहर सिंह गांव/नगर 4 डी ओ एल, तहसील- रावला, जिला- श्री गंगानगर जिला/डिवीज़न श्री गंगानगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 BAORI (9 बावरी) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संघोपन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोपन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोपन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री राजेन्द्र सिंह गांव/नगर 4 डी ओ एल, तहसील- रावला, जिला- श्री गंगानगर जिला / डिवीज़न श्री गंगानगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो पत्र प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामानिक न्याय अधिकारीत विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.बी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किरोसक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ों को विवेक के सम्बंधित प्रदेत अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जाति किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परिष्करण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। यह सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जाति किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.eultra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ़्री संख्या : 210388153487

उपखण्ड अधिकारी, घरसाना ()



Signature valid

Digitally signed by Ashwasha
Designation: SUB-DIVISIONAL
OFFICER
Date: 2021.09.08 18:00:19 IST
Reason: Approved



EMKH 8098400

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला-बीकानेर



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक - Rj3/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/14475
दिनांक 04-10-2016

आवेदक का आधार नम्बर : NA

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी विजय लता वाल्मीकि पुत्री राज कुमार वाल्मीकि गांव/नगर पुरानी लाईन, चांदमल जी का बाग, वाल्मीकि बस्ती गंगाशहर, बीकानेर जिला/डिजीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में वाल्मीकि (14) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अधिनियम 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 1950,
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1951,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम 1956, अर्थात् पुनर्गठन अधिनियम 1960, अर्थात् पुनर्गठन अधिनियम 1966, विभाजन
अधिनियम 1970, उत्तर प्रदेश क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम
1976 द्वारा तथा संबंधित संविधान (असम तथा कर्नाटक) अनुसूचित जाति अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र)
अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संबंधित संविधान (असम तथा कर्नाटक) अनुसूचित जाति अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम
अनुसूचित जाति, अधिनियम 1962, संविधान (राज्य तथा नगर क्षेत्रों) अनुसूचित जनजाति, अधिनियम 1962, संविधान (राज्य तथा नगर क्षेत्रों) अनुसूचित जाति अधिनियम 1964,
संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) अधिनियम 1967, संविधान (मिजोरम, त्रिपुरा तथा दीन) अनुसूचित जाति अधिनियम 1968, संविधान (मिजोरम, त्रिपुरा तथा दीन)
अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1968, संविधान (भागलपुर) अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी विजय लता वाल्मीकि गांव/नगर पुरानी लाईन, चांदमल जी का बाग, वाल्मीकि बस्ती गंगाशहर, बीकानेर जिला/डिजीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वहीं होगा जो जन्म दिनांक 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग के निर्देश सं. एफ 21(37) एस जे ई/कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरक द्वारा उपलब्ध करायें गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

Digitally signed by
NAMU RAM SAINI
Date: 2016.10.04
04:28:09 +05'30'
Reason: GCM
Location: Rajasthan



1603056510155811

परिशिष्ट - थ
कार्यालय तहसीलदार... सोधरी पाल.....

जिला इंगरपुर राजस्थान

अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदम जातियो के उम्मीदवारों द्वारा अपने

मामले के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म



क्रमांक : 729

दिनांक : 8-7-2015

जाति प्रमाण पत्र


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री / श्रीमती मिनाही रेश
सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री रमेश चन्द बोट गाँव / नगर नेंगाला
जिला इंगरपुर डिवीजन इंगरपुर (राजस्थान / सघ / राज्य क्षेत्र)
भील जाति समुदाय का है। जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
 - ✓ 2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
 3. संविधान (अनुसूचित जाति) सघ राज्य क्षेत्र आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिया (संशोधन) आदेश,
1956 बम्बई पूर्णगठन अधिनियम, 1960 ए.जाब पूर्णगठन अधिनियम 1966
हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970 उत्तर पूर्वीय क्षेत्र अधिनियम, 1971
और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम
1976 द्वारा संशोधन किये गये अनुसार :-

श्री / सुश्री / श्रीमती मिनाही रेश और / अथवा
उसका परिवार जन्म से गाँव / शहर नेंगाला जिला / डिवीजन इंगरपुर
इंगरपुर राज्य / सघ राज्य क्षेत्र राजस्थान से सामान्यता रहता है।

दिनांक :

स्थान :


तहसीलदार
सोधरी इलाका



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विधान/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.प्र.जा.)/19180154834

दिनांक: 12-04-2019

आवेदन का आधार पत्र संख्या:

आवेदन/परिवार के मुखिया का नाम/मातृ काई संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लक्ष्मेन्द मीणा पुत्र/पुत्री श्री रजेंद्र मीणा गांव/नगर ई-96 कांता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर जिला/डिचीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिका (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1960, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उदा पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अमendment) अधिनियम आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अमendment) अधिनियम द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (द्वीप तथा नगर द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (द्वीप तथा नगर द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (द्वीप तथा नगर द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीऊ) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (समावेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री लक्ष्मेन्द मीणा गांव/नगर ई-96 कांता खतुरिया कॉलोनी बीकानेर जिला / डिचीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग सम्बन्धित निवासी का आई आई होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 से है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एम.वे.ई./सम्पु./ई.जी./05-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई डिवाइस होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. आई आई द्वारा प्रस्तुत किये गए हज़ार आवेदन पर एन सम्बंधित दस्तावेज़ विनियम के सम्बंधित प्रमाण अधिकारी नियमक हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा कि कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के निम्ने कार्य है।
6. आई आई जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है; टोल फ्री संख्या - 190197438822

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)

Signature valid

Digitally signed by
KAILASH CHANDER
Date: 2019.04.12 13:41:34
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपसचिव अधिकारी, नैनवाँ, (बूंदी)
जिला - बूंदी
जाति प्रमाण - पत्र



आवेदक: RJ/2017, उपसचिव विभाग, जाति का प्रमाण पत्र (अ.जा / अ.न.जा) / 21406198370
दिनांक: 15.12.2021
आवेदक का आधार नम्बर: 354220705526
आवेदक/पति/पत्नी के बुकिंग का जनआधार कार्ड संख्या: 4844746175

प्रमाणित किया जाता है कि श्री निम्नांत पुत्र/पुत्री श्री राजू जाल मीना, माता का नाम - श्रीमती मिनी बाई, गांव/नगर धाम बोरटा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवाँ जिला बूंदी जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आर्टिकल 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आर्टिकल 1950, संविधान (अनुसूचित जाति (संघ राज्य क्षेत्र) आर्टिकल 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र) आर्टिकल 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिका (संशोधन) आर्टिकल 1955, अर्जेंट पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंचम पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर्टिकल (संशोधन) अधिनियम 1970 द्वारा बना संशोधित संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अनुसूचित जाति आर्टिकल 1955, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर्टिकल (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा बना संशोधित संविधान (राज्य तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 1955, संविधान (दार्जिल तथा उत्तर हिंदी) अनुसूचित जाति आर्टिकल 1964, आर्टिकल 1962, संविधान (दार्जिल तथा उत्तर हिंदी) अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 1962, संविधान (पांडेपरी) अनुसूचित जाति आर्टिकल 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आर्टिकल 1967, संविधान (गोत्र) राज्य अर्जेंट पुनर्गठन) अनुसूचित जाति आर्टिकल 1968, संविधान (गोत्र) उत्तर तथा दार्जिल) अनुसूचित जनजाति आर्टिकल 1968, संविधान (संशोधन) अनुसूचित जनजाति आर्टिकल, 1970

श्री निम्नांत गांव/नगर धाम बोरटा पोस्ट बालापुरा तहसील नैनवाँ जिला बूंदी जिला / डिवीजन बूंदी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो कि प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिवृत्तन सं.एफ. 21(37) एस्.जे.ई.कम्प्यू.ई.सी./08-09/73710 दिनांक 20/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र निकोबार द्वीप समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं-दस्तावेजों के अन्तर्गत पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणीकरण के अन्तर्गत में कोई त्रिभुल होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
4. आवेदक द्वारा अर्जेंट पुनर्गठन एवं सम्बंधित दस्तावेजों विभे के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विभेके हस्ताक्षर से यह जारी कि जायेगा के अन्तर्गत में त्रिभुल/त्रिभुल के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. आवेदक को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है; टोलफ्री संख्या: 210421879902

उपसचिव अधिकारी, नैनवाँ, बूंदी

Signature valid

Digitally signed by S. Y. O.
M
Date: 2021.12.15 15:14:06
5:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan





2.1.2.

Caste Certificates

2018-19

2016-2021

SSR : 1st Cycle of Accreditation

RNB GLOBAL UNIVERSITY

RNB Global City, Ganganagar Road,
Bikaner, Rajasthan 334601

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: R/101/2017/राजस्थान विभाग/अन्य पिछड़े का प्रमाण-पत्र/17040883447

दिनांक: 08-06-2017

कार्यकाण्ड का प्रकार: नमूना:

आवेदक/परिवार के मुखिया का भ्रमाच्छाद कार्ड संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

01 श्री निरंजन भाटी पुत्र श्री राज कुमार भाटी राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- 196 एम.एस. कॉलेज के पीछे रानीसर नास बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त श्री निरंजन भाटी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड.पी./एस.जे.ई. डी./09/ दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से अन्य पिछड़े (49 MALJ (49 माली) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री निरंजन भाटी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एन.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज़ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए नूतन आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज़ों के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी लिखे हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। जहाँ सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 170042367154

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर



Signature valid

Digitally signed by
NAMU RAM SAINI
Date: 2017.06.08
11:35:51 +05:30
Reason: approved
Location: Rajasthan



170042367154

s 656561

Office of the Sub Divisional Officer, Nagaur, (Nagaur)
NAGAUR, Rajasthan

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA



S.N.:RJ/2017/REVENUE DEPARTMENT/Digital Caste OBC For Central/2136289444B
Date:12-07-2021

This is to certify that Miss SONAL PARIHAR Son/Daughter of Mr BAL KISHAN PARIHAR of Village/Town NAYA DARWAJA NAGAUR RAJ 341001 in District/Division NAGAUR(नागौर) of the State/Union Territory Rajasthan belongs to the 35 MALI SAINI (35 Mali Saini) Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerments Resolution No 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999, 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000, 12011/9/94-BCC dt.19/10/1994* and/or his/her family ordinarily reside (s) in the NAGAUR(नागौर) District/Division of the Rajasthan State/Union Territory, This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(5CT) dated 08/09/1993**

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
**As amended from time to time.

Note: The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 11 0एमसी एसटी ओबीसी 0 या प्र व - डी.डी सीसी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. प्रार्थी को जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोल फ्री संख्या: 210377216689

SDM-NAGAUR-NAGAUR



Signature valid

Digitally signed by
KUMAR CHOUDHARY
Date: 2021.07.12 14:08:56
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMJP

04883020



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/22437682275
दिनांक: 23-04-2022
आवेदक का आधार नम्बर : 277586309313
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5088228013

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री अरमान हुसैन पुत्र/पुत्री श्री मोहम्मद जफ़र , माता का नाम - श्रीमती हुसना बानो, राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- टैगोर स्कूल के पास हुसैनी मस्जिद चौबूटी बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त श्री अरमान हुसैन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 24 KASAI (24 कसाई) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री अरमान हुसैन आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्रमिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्रमिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उत्पन्न करायें गये हैं-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : शर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात विने के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय से निरीक्षण/परिष्करण के लिए उत्पन्न होंगे।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : शर्ती को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.eajra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टीएल संख्या : 220454272403

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन केंद्रों से विद्युत्किरी और पढें तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by SHOK
KUMAR
Date: 2022.04.23 19:58:46
+05:30
Reason: Approved
Location: Bikaner



ENJPPL 04211630

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: R/ 2017/ राजस्व विभाग/ अन्य पिछड़ा वर्ग / 18126564890

दिनांक: 25 08 2018

आपेटक का आधार नम्बर:

आपेटक / परिवार के मुखिया का भवसाहस कार्ड संख्या:

यह प्रमाणित किया जाता है कि

01. सुब्री रक्षा सिंगोटिया पुत्र: पत्नी श्री राकेश सिंगोटिया राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- 34 बी इंडस्ट्रियल एरिया रानी बाजार घोपड़ा कटला के पीछे के, की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है। सत्य है।

02. उक्त सुब्री रक्षा सिंगोटिया राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प 111(64) अर एच पी, एस जे ई डी - 09/47032 दिनांक 25 08 2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 49 MA11 (49) शाली) वर्ग वर्ग के की सदस्य है।

03. उक्त सुब्री रक्षा सिंगोटिया आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के डिमोनेटर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प 7(8) कार्मिक क - 2/2008 दिनांक 11/08/2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार डिमोनेटर (सम्पन्न वर्ग) का की नहीं है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एच 21(17) एस जे ई संख्या ई.पी. 05-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को बाध्यता बटान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियेसक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेज की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आपेटक पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज मिले के सम्बंधित बटान अधिकारी नियोजे हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/वीरिफिक के लिए उपलब्ध होगा।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 180131413597

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के अधिकारिता विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के डिजिटल हस्ताक्षरों के जारी होने के बाद प्रमाण-पत्र के प्रयोग के लिये बाध्यता बटान की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by
MONIKA BALA
Date: 2018.08.25 11:46:10
+05:30
Reason: I have signed



e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra e-Mitra

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक उपकरण अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य विद्योत्तमों का प्रमाण-पत्र



आदेश सं. 21/2017, राजस्थान विधान सभा विभाग सं. 18113303202
दिनांक 20-09-2018
आवेदन का आधार संख्या ;
आवेदन / अधिवार के सुविधा का प्रमाण-पत्र जारी करना।

- यह प्रमाणित किया जाता है कि:
01. श्री एमि हंसल सोनी पुत्र/पुत्री श्री मोहन चन्द सोनी राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर एवं ... सीपी सीपी आई आरएन राजस्थान बीकानेर के श्री विद्योत्तम हैं तथा वे और या इनका कुटुम्ब कोई नयाई रूप से विद्योत्तम करता है/करती है, करने है।
 02. उक्त श्री एमि हंसल सोनी राजस्थान के सार्वजनिक सेवा एवं अधिवारित विभाग की अधिवृत्त सं. 1 (164) का एक ही पत्र सं. ई.डी. 09/47032 दिनांक 25.08.2009 के अधिवृत्त राजस्थान राज्य के राज्य विद्योत्तमों की अधिवृत्त अधिवृत्त सुवी में अधिवृत्त करी के से 74 SOBI (74 सोबी) जारी/करते है, की प्रमाण है।
 03. उक्त श्री एमि हंसल सोनी राजस्थान हेतु उक्त वर्ष के विद्योत्तम समष्टी राजस्थान के सार्वजनिक (क-2) विभाग की अधिवृत्त सं. 7 (अधिवृत्त) सं. 2, 2008 दिनांक 25.08.2009 में अधिवृत्त सेविटी के आधार पर अनुमान किटोरेण (सामगु जारी कर, की गयी है।

- नोट:
1. राजस्थान सरकार के सार्वजनिक सेवा एवं अधिवारित विभाग की अधिवृत्त सं. एक 21(7) एच.डी. सं. 108-09, 73710 दिनांक 30-12-2010 के द्वारा जारी किया जा चुके हैं। हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के आधार पर प्रमाणित किया जा रही है।
 2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किटोरेण द्वारा उपरोक्त करी के से ई-प्रमाणित के आधार पर जारी किया गया है। राजस्थान की इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणित में जारी किया जाये पर प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।
 3. जारी हुए प्रमाणित किटोरेण का प्रमाणित एवं अधिवारित एवं अधिवारित द्वारा अधिवारित विद्योत्तम हस्ताक्षर से यह जारी किया जाये पर सार्वजनिक सेवा एवं अधिवारित के लिए उपरोक्त करी के से जारी किया जाये पर प्रमाणित किया जा सकता है।
 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है & इस सभी करी के से प्रमाणित है।
 5. जारी कर जारी किटोरेण एवं प्रमाणित एवं अधिवारित एवं अधिवारित द्वारा अधिवारित विद्योत्तम हस्ताक्षर से यह जारी किया जाये पर सार्वजनिक सेवा एवं अधिवारित के लिए उपरोक्त करी के से जारी किया जाये पर प्रमाणित किया जा सकता है।

उपरोक्त अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by RAM SASHI
Date: 2018.09.17 19:18
Reason: I signed
Location: Bikaner



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़, (हनुमानगढ़)
जिला - हनुमानगढ़
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /18115911183
दिनांक: 11-06-2018
आवेदन का आधार नम्बर : 881775748732
आवेदक / परिवार के मुखिया का भासाहाह कार्ड संख्या : 9999-W54Y-00292

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 श्री आदित्य दुधवाल पुत्र/पुत्री श्री परस राम राजस्थान राज्य के जिला हनुमानगढ़ पता- वार्ड न-17 करणीगर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री आदित्य दुधवाल राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं प 11(164) आर एण्ड पी /एस जे ई डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री आदित्य दुधवाल आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर वर्गी राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं प 7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्यक् वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं एक 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू /ई.वी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र फिरोक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कारिर किया जा सकेगा।
- 3 : कार्डों द्वारा प्रस्तुत किये गए नूत आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके सम्बंधित प्रदान अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : कार्डों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 180120407717

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेक्टरों में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़



Signature valid

Digitally signed by
Surendra Singh Prohit
Date: 2018.06.11 20:15:03
+05'30'



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: R/101/2017, राजस्थान सरकार, राजस्थान विद्यापीठ का पत्रांक सं. (1703)अक/2555

दिनांक: 08-05-2017

आवेदन का अन्तर्गत संख्या: 494287343095

आवेदन, परिष्कार के पृथिवी का प्रमाणपत्र जारी करना।

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

01. श्री राजन कुमार शर्मा की कुलपिताम सुधार राजस्थान राज्य के विद्यार्थी वर्गों का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है; श्री विद्यार्थी है राज के और का इनका सुदृढ़ता वर्ग स्वर्ण श्रेणी से विद्यार्थी वर्ग है; कर्णी है; कर्णी है।

02. उक्त श्री राजन कुमार शर्मा सरकार के कार्यालय न्याय पूर्व अधिकाधिक विद्यार्थी अधिसूचना सं. 11164) का एक ही, एक से ई.टी. 100/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग की अधिकतम अधिसूचित सूची में अधिसूचित वर्गों से अन्य विद्यार्थी वर्ग (2 SUTHAH का सुदृढ़ता) का वर्गीकरण की जा रहा है।

03. उक्त श्री राजन कुमार शर्मा का उक्त वर्ग के विद्यार्थी वर्गों का प्रमाणपत्र के कार्यालय (सं-2) विद्यार्थी अधिसूचना सं. 745) कार्यालय, सं-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में अधिसूचित विद्यार्थी वर्ग के अनुसार विद्यार्थी वर्गों में शामिल किया जा रहा है।

- 1. राजस्थान सरकार, के कार्यालय न्याय अधिकाधिक विद्यार्थी अधिसूचना सं. 11164) का एक ही, एक से ई.टी. 100/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य विद्यार्थी वर्ग की अधिकतम अधिसूचित सूची में अधिसूचित वर्गों से अन्य विद्यार्थी वर्ग (2 SUTHAH का सुदृढ़ता) का वर्गीकरण की जा रहा है।
- 2. उक्त श्री राजन कुमार शर्मा का उक्त वर्ग के विद्यार्थी वर्गों का प्रमाणपत्र के कार्यालय (सं-2) विद्यार्थी अधिसूचना सं. 745) कार्यालय, सं-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में अधिसूचित विद्यार्थी वर्ग के अनुसार विद्यार्थी वर्गों में शामिल किया जा रहा है।
- 3. उक्त श्री राजन कुमार शर्मा का उक्त वर्ग के विद्यार्थी वर्गों का प्रमाणपत्र के कार्यालय (सं-2) विद्यार्थी अधिसूचना सं. 745) कार्यालय, सं-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में अधिसूचित विद्यार्थी वर्ग के अनुसार विद्यार्थी वर्गों में शामिल किया जा रहा है।
- 4. यह प्रमाणपत्र का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।
- 5. उक्त श्री राजन कुमार शर्मा का उक्त वर्ग के विद्यार्थी वर्गों का प्रमाणपत्र के कार्यालय (सं-2) विद्यार्थी अधिसूचना सं. 745) कार्यालय, सं-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में अधिसूचित विद्यार्थी वर्ग के अनुसार विद्यार्थी वर्गों में शामिल किया जा रहा है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
NANU RAM SHAIN
DN: cn=RD/05.08
15.20.17, o=5.30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



16048675



भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी दीपेश तंकर
 पुत्र/पुत्री श्री राजीव तंकर निवासी ग्राम/कस्बा बीकानेर
 जिला/संभाग बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान के प्रदेश
 जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश को अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1. सविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
2. सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
3. सविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
4. सविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वांचल क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के द्वारा यथा संशोधित)
5. सविधान (जम्मू एवं कश्मीर) की अनुसूचित जाति आदेश, 1956
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976 द्वारा यथासंशोधित सविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
7. सविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
8. सविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
9. सविधान (पाँडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
10. सविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
11. सविधान (गोवा दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
12. सविधान (गोवा दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
13. सविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
14. सविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
15. सविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
16. सविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
17. सविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) 1990
18. सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991
19. सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991
20. सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं। यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी दीपेश तंकर
 को पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी राजीव तंकर निवासी/ग्राम/कस्बा
बीकानेर जिला/संभाग बीकानेर प्रदेश/संघ राज्य क्षेत्र
 को अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो राजस्थान के प्रदेश जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो बीकानेर जिला/संभाग बीकानेर द्वारा जारी
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी दीपेश तंकर और/या उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा बीकानेर जिला/संभाग बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में रहता है।

स्थान बीकानेर
 दिनांक 442
12/06/13

हस्ताक्षर
 पदनाम
 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
 (कार्यालय की मुहर)
 SHARADAR (REVENUE)
 BIKANER



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यापालक दण्डनायक
तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर



क्रमांक : प.सुगम/जा.प./2011 / 51608

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि
प्राचीं श्री/सुश्री/श्रीमती प्रतिभा शौर्य
पुत्र/पुत्री भुवनेश शौर्य
निवासी बीकानेर
जिला/डिविजन बीकानेर

राज्य/संघ राज्य- राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्राचीं/प्राचींनी जाति/समुदाय मेघवाल
का है जिसे निम्नलिखित अनुसार अनुसूचित जाति के रूप मान्यता दी गयी है।
जो अनुसूचित जाति की सूची संख्या में क्रम सं. 46 पर दर्ज है-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
- बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966,
- हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा-
-अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार
- संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1958
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-
-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- विधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968
- संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
- संविधान (तामिलनाडु) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री/सुश्री/श्रीमती
जाति
जिला/डिविजन

प्रतिभा शौर्य
मेघवाल
बीकानेर

पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
राज्य राजस्थान में सधारण तौर से निवास करते हैं।

भुवनेश शौर्य
बीकानेर

स्थान : बीकानेर
दिनांक : 19/09/2011

हस्ताक्षर एवं मुद्रित नाम
तहसीलदार, कार्यापालक दण्डनायक
बीकानेर



यह प्रस्तुत हुये 'सधारण तौर से निवास' शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।



2.1.2.

Caste Certificates

2017-18

2016-2021

SSR : 1st Cycle of Accreditation

RNB GLOBAL UNIVERSITY

RNB Global City, Ganganagar Road,
Bikaner, Rajasthan 334601



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपाखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र *

क्रमांक: RJ3/2017-Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/5864
दिनांक: 08-06-2017

आवेदक का आधार नम्बर : 486172678785
आवेदक/परिवार के मुखिया का भागाशाह कार्ड संख्या : NA

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री **देव चौधरी** पुत्र श्री **अभिनी चौधरी** राजस्थान राज्य के जिला **बीकानेर** पता- 5-थी - 34, **जे. एन . वी . कॉलोनी बीकानेर** के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब सहो स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त श्री **देव चौधरी** राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11 (164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 जाट वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त श्री **देव चौधरी** आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एन 21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियोल्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिसे के सम्बंधित दस्ता अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में विधेक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी वर्गों के लिये मान्य है।
5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेनाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपाखण्ड अधिकारी, बीकानेर



Signature valid

Digitally signed by
PRAKASH
Date: 2017.05.26
00:35:11
Reason: ICM
Location: Rajasthan



1603194210044501

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाप, (जोधपुर)
ज़िला - जोधपुर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /21409269667
दिनांक: 10-01-2022
आवेदक का आधार नम्बर : 907438949669
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 4682535681

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री रमेश सिंह माकड पुत्र/पुत्री श्री रूपा राम , माता का नाम - श्रीमती जमना देवी, राजस्थान राज्य के जिला जोधपुर पला-चिमाणा, घटियाली, जोधपुर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री रमेश सिंह माकड राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर. एण्ड पी /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत य अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री रमेश सिंह माकड आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमिलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात मिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी विसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 210425038263

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अर्थीन सेक्टरों में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाप, (जोधपुर)



Signature valid

Digitally signed by HARI
SINGH DEWAL
Date: 2022.07.10 12:08:39
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



आवेदन क्र. 02/04/2017/राजस्थान विद्यालय निदेश का प्रमाण-पत्र 170041 691600

दिनांक 25-08-2009

कार्यालय का पता

आवेदन/परीक्षा के सुविधा का प्रमाण-पत्र काटने के लिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

01. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री डाल सिंह मुंड राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- बी एस स्टापी स्कूल के पीछे, जिनका नगर, बीकानेर जे. की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्टाई रूप में निवास करता है/ करती है/ करते है।

02. उस श्री दिनेश कुमार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प 11(164) अण. एण्ड पी. एस. वे ई. टी. /09/ दिनांक 25.08.2009 में अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से अन्य पिछड़े (28 JAT (28 जाट)) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03. उस श्री दिनेश कुमार आरक्षण हेतु उस वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (स-2) विभाग की अधिसूचना सं. 7(8) कार्मिक/स-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का, की रही है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प 11(17) एण्ड वे ई. टी. सं.प 108-09, एण्ड पी. एस. वे ई. टी. सं.प 11/09/09 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को अनिवार्य करने की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रिमीलेयर द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र मान्य किया जा सकेगा।

3. पार्सी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिनके सम्बंधित प्रदान अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर में यह जारी किया जायेगा व कार्यालय में निरीक्षण/परिष्कार के लिए उपलब्ध होंगे।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। और कभी काटने के लिये मान्य है।

5. पार्सी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.echitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापन किया जा सकता है। टोकन संख्या 170042886956

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
NANU RANI
Date: 2017.08.13
15:29:05+05:30
Reason: approved
Location: Rajasthan



170042886956

802103

S



Office of the Sub Divisional Officer, Bikaner, (Bikaner)
BIKANER, Rajasthan



FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

S.N.:RJ/2017/REVENUE DEPARTMENT/Digital Caste OBC For Central/2135277025
Date:19-05-2021

This is to certify that Mr Deepak Kumawat Son/Daughter of Mr Kana Ram of Village/Town Rampura Basti, Gali No-02, Lalgarh, Bikaner in District/Division BIKANER (बीकानेर) of the State/Union Territory Rajasthan belongs to the 30 KUMHAR (PRAJAPATI) (30 Kumhar (Prajapati)) Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerments Resolution No 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999, 12011/9/94-BCC dt. 19/10/1994* and/or his/her family ordinarily reside (s) in the BIKANER(बीकानेर) District/Division of the Rajasthan State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/1993**

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**As amended from time to time.

Note: The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

नोट:

1. राजस्थान सरकार के मानविक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एक 11 0एससी एसटी ओबीसी 0 नं.प्र.प / डी डी सीसी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र (पाल सरकार की सेवाओं के लिए) जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. प्रार्थी को जारी किये गये जाने वाले प्रमाण पत्र (पाल सरकार की सेवाओं के लिए) का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 210366752101

SDM-BIKANER-BIKANER

Signature valid

Digitally signed by M. Senu
Verma
Date: 2021.05.19 14:47:15
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMJP 03456317

Office of the Sub Divisional Officer, Bikaner, (Bikaner)
BIKANER, Rajasthan

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA



S.N.:RJ/2017/REVENUE DEPARTMENT/Digital Caste OBC For Central/21334360890
Date:27-01-2021

This is to certify that Mr SUNIL KUMAR KASWAN Son/Daughter of Mr RAM KISHAN KASWAN of Village/Town POLICE SATABION KE SAMNE NAL BARI BIKANER in District/Division BIKANER(बीकानेर) of the State/Union Territory Rajasthan belongs to the 58 JAT (EXCEPT IN BHARATPUR AND DHAULPUR DISTRICTS) (58 Jat (except in Bharatpur and Dhaulpur Districts)) Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerments Resolution No 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999* and/or his/her family ordinarily reside (s) in the BIKANER(बीकानेर) District/Division of the Rajasthan State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993**

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

**As amended from time to time

Note: The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

नोट:

1. राजस्वान सरकार के सांघिक न्याय एवं अधिकारिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 11 (एससी एमटी ओबीसी) जा.प्र.प / डी.डी. बीसी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जारी अमानत पर (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. जारी को जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) का सत्यापन www.cm Mitra rajasthan gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 210347542283

SDM-BIKANER-BIKANER

Signature valid

Digitally signed by Seenu

Verma

Date: 2021.01.27 18:24:48

+05:30

Reason: I am Legg

Location: Bikaner



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपसभ्य अधिकारी, नोखा, बीकानेर
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र



क्रमांक: RI/2017/राज्य विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/21327642338

दिनांक: 04.01.2021

आवेदक का आधार नम्बर

आवेदक / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड कार्ड नम्बर

यह प्रमाणित किया जाता है कि

01. सुबी यशोदा तई पुत्र पुत्री श्री राजेंद्र तई राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पंचायत नं. 15 पहालवास अग्रामण के की धियाणी है तथा वे और वो इनका कुटुम्ब यही स्थाई रूप से निवास करता है करती है करते है।

02. उक्त सुबी यशोदा तई राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. 11(164) अर. एन. डी. सं. एन. डी. सं. 06/47032 दिनांक 25.08.2008 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचन अधिसूचना सुबी से सम्बन्धित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग जाति के की सदस्य है।

03. उक्त सुबी यशोदा तई आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीनेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यात्मक (क. 2) विभाग की अधिसूचना सं. 78/आर.क. सं. 2/2008 दिनांक 25.08.2008 से उल्लिखित बंनेतों के मापदण्ड के अनुसार किमीनेयर (अनुसूच वर्ग) का की रही है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एक 21(37) एन. डी. सं. 05/06/73210 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा नवि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मांगता प्रदान को गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण पत्र किमीनेयर द्वारा उपलब्ध कराने गये है। दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3. जारी द्वारा प्रस्तुत किये गए हुए आवेदक यह एक सम्बन्धित दस्तावेजों जिनके सम्बन्धित प्रमाण अधिकारी विभाग के हस्ताक्षर में यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में परिशिष्ट सं. 1/2010 के लिए उपलब्ध होगा।

4. यह प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। यह जारी जारी के लिये मान्य है।

5. जारी को जारी किये गये प्रमाण पत्र का सत्यापन www.emip.in या स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सम्बन्धित किया जा सकता है। दस्तावेज संख्या - 210140625439

*यहां से पिछड़े वर्ग के लिये राश्यांतर अथवा के अतिरिक्त कोई भी निर्धारित कोई भी अन्य राश्यांतर की बीकानेर जिला में बीकानेर जिला के अधिकारी।

उपसभ्य अधिकारी, नोखा, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by SINGH MEENA
Date: 2021.01.07 17:55:07
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



EMIP 02493994



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर
जिला- बीकानेर

* अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र *



दिनांक

क्रमांक:R/3/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/6490
07-04-2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरनिश सोनी पुत्र श्री खेमचन्द सोनी निवासी- सुनारों की बड़ी गुवाड, बीकानेर., जिला/खण्ड बीकानेर में स्थाई तौर से निवास करता है।

राजस्थान सरकार के कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक-

ए-11(125)आर.एण्ड.सी./स.क.वि./52307 दिनांक 06.08.1994, 12098 दिनांक 15.03.1997, 74085 दिनांक 03.11.1999,
ए-11(125)3(4)(5)आर.एण्ड.सी./स.क.वि./99/75681 दिनांक 12.11.1999,
ए-11(125)(6)आर.एण्ड.सी./स.क.वि./01 दिनांक 01.01.2000, 153 दिनांक 02.01.2000, 459 दिनांक 10.01.2000, 22821 दिनांक
26.06.2001, 417, 45 दिनांक 20.08.2001,
ए-11(125)(10)आर.एण्ड.सी./स.क.वि./2002, 26706 दिनांक 24.06.2002,
ए-11(125)(10)आर.एण्ड.सी./स.क.वि./2002/26832 दिनांक 2002,
ए-11(164)आर.एण्ड.सी./सा.न्याय अ.वि./09/47032 दिनांक 25.08.2009

अधिसूचना राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्ग संख्या व जाति 74 सोनी के सदस्य हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना सं.प.9(8) कार्मिक-क-5/90 दिनांक 10.10.2008 के साथ उपाबन्ध अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित उप वर्ग का नियम उस पर लागू नहीं होता है अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों के क्रीमीलेयर का है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एक 21(37) एल.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र क्रियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. शर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. शर्ती को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by
Joshi Naresh Kumar
Date: 20/5/14 07
02:23:00 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1503051410084706

तहसीलदार, बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, टीबी, (हनुमानगढ़)
ज़िला - हनुमानगढ़
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/19188978500
दिनांक: 18-04-2019
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामासाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 सुखी नवपीत कौर पुत्र/पुत्री श्री बली सिंह राजस्थान राज्य के जिला हनुमानगढ़ पता- वार्ड नं ०२ कभरानी के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।

02 उक्त सुखी नवपीत कौर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी.एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिसूचित व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT SIKH (28 जट सिख) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उक्त सुखी नवपीत कौर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संवधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.डी.08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग का मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एक सम्बंधित दस्तावेजात जिसे के सम्बंधित इलेक्ट्रॉनिक अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 190197258311

* राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के कार्यालय में विपुलिया, और पता राजस्थान की वैश्विक सरकारी वेबसाइटों में आरक्षण के प्रमाणपत्र।

उपखण्ड अधिकारी, टीबी, हनुमानगढ़



Signature valid

Digitally signed by M. SENU
VERMA
Date: 2019.04.18 18:12:26
+05:30
Reason: I am the author
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर



राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /21406491924

दिनांक: 14-12-2021

आवेदक का आधार नम्बर : 357094343447

आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 9999-TSL1-00079

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 सुश्री अंजलि दुल पुत्र/पुत्री श्री कर्मवीर दुल , माता का नाम - श्रीमती नीलम देवी, राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- वसुंधरा कॉलोनी, उदासर, बीकानेर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त सुश्री अंजलि दुल राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त सुश्री अंजलि दुल आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमिलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं. प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिने के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 210422176153

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेव.अ.में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)

Signature valid

Digitally signed by ASHOK
KUMAR
Date: 2021.12.14 20:20:21
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan





Office of the Sub Divisional Officer, Bikaner, (Bikaner)
Bikaner, Rajasthan



FORM OF CERTIFICATE TO BE PREPARED BY
OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

S.N./RJ/2017/REVENUE DEPARTMENT/Digital Caste OBC For Central/191641E3301
Date: 17-01-2019

This is to certify that Mr. AMIT SONI Son/Daughter of Mr. RAJENDER PRASAD SONI of Village/Town B-2 MAYUR VIHAR COLONY JAIPUR ROAD BIKANER in District/Division Bikaner (बीकानेर) of the State/Union Territory Rajasthan belongs to the 49 SONI (49 Soni) Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No 12011/36/99-ECC dt. 04/04/2000, 12011/9/94-ECC dt. 19/10/1994* and/or 188711 family ordinarily reside (s) in the Bikaner (बीकानेर) District/Division of the Rajasthan State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36/12/22/93-Ext.(SCF) dated 08/09/1993**

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC
**As amended from time to time

Note: The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

नोट:

1. गवर्नर सरकार के आदेशिका न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एन 11 (एनबी एमटी डीबीसी) वा.क.प्र / डी.डी सीबी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जारी किया गया भारत सरकार की योजनाओं के लिए जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता देने की तारीख है।

2. सर्वो को जारी यह प्रमाणिकता का प्रमाण प्रमाण की वेबसाइट के लिए का संवादन www.e-mitra.rajasthan.gov.in पर किया ONLINE VERIFICATION SECTION में Online प्रमाणिकता किए जा सकता है। टोल फ्री संख्या: 190171118028

SDM-BIKANER-BIKANER

Signature valid

Digitally signed by
MONIKA BALARA
Date: 2019.01.17 11:14:55
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan
18595379



e-Mitra ई-मित्र e-Mitra ई-मित्र e-Mitra ई-मित्र

राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नोला, (बीकानेर)
जिला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



कार्यांक: RJ/2017/राज्य विधान/अन्य पिछड़ा वर्ग /21341376/25
दिनांक: 12-03-2021
आवेदन का आधार नम्बर : 408885088864
आवेदन / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि -

- 01. सुश्री अनीता कुमहार पुत्र/पुत्री श्री भार्गव कुमहार राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर जिला- बाधु नोला बीकानेर के/की निवासी है तथा वे और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02. उस सुश्री अनीता कुमहार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) जन. एच.टी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 K3/MHAR (PRAJAPATI) (41) कुमहार (प्राजापति) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03. उस सुश्री अनीता कुमहार आवेदन हेतु उस वर्ग के किमीनेटर संबंधी राज्य सरकार के सामाजिक (क. 2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्यांक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीनेटर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

- नोट
- 1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एच.21(7) एच.जे.ई./सम्पन्न/ई.टी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को सज्जता बढ़ाने की गयी है।
 - 2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र किंगडॉम द्वारा उपलब्ध करवाये गये है। ट्रांज़ाक्शन के आधार पर जारी किया गया है। ट्रांज़ाक्शन की इवेंटलॉग के सम्बन्ध में कोई क्विबॉट होने पर प्रमाण-पत्र अमान्य किया जा सकता है।
 - 3. जारी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन का एवं सम्बन्धित ट्रांज़ाक्शन विनि के सम्बन्धित वोट अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के सम्बन्ध में निरीक्षण अधिकाय के विधि उपलब्ध है।
 - 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। यह सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 - 5. कार्यों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.e-governance.gov.in पर क्लिक ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टीएनए संख्या: 21095489952
- राज्य के किसी वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधिकारियों से संपर्क करें और यदि उस वर्ग की श्रेणिक संख्याओं में कोई भी अक्षर के समानताएं।

उपखण्ड अधिकारी, नोला, ज।

Signature valid

Digitally signed by SHARMA
Date: 2021.03.14 14:40:13
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



e-Mitra



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /20288072943
दिनांक: 11-08-2020
आवेदक का आधार नम्बर :
आवेदक / परिवार के मुखिया का धामासाह कार्ड संख्या :

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री केशव सोनी पुत्र/पुत्री श्री ज्योति स्वल्प सोनी राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- चोपड़ा कटला रानी बान्नार बीकानेर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री केशव सोनी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी. /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 74 SONI (74 सोनी) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री केशव सोनी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प. 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.बी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित पटल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 200300080236

राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों तथा राज्य की वैशेषिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by M.ENU
Verma
Date: 2020.08.11 10:50:34
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



Office of the Sub Divisional Officer, Bikaner, (Bikaner)
BIKANER, Rajasthan

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA



S.N.:RJ/2017/REVENUE DEPARTMENT/Digital Caste OBC For Central/20294713601
Date:11-09-2020

This is to certify that Mr SANJAY SONI Son/Daughter of Mr GHANSHYAM SONI of Village/Town AARY SAMAJ SCHOOL KE PASS JEL ROAD BIKANER in District/Division BIKANER(बीकानेर) of the State/Union Territory Rajasthan belongs to the 49 SONI (श्री Soni) Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerments Resolution No 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000, 12011/9/94-BCC dt.19/10/1994* and/or his/her family ordinarily reside (s) in the BIKANER(बीकानेर) District/Division of the Rajasthan State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08/09/1993**

*The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
**As amended from time to time.

Note: The term Ordinarily used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people Act, 1950.

नोट :

- 1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एक 11 0एसवी एसटी ओबीसी 0 वा.एच. / ए.ई.डी वीसी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जाति प्रस्ताव पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) जारी करने हेतु डिजिटल प्रस्ताव के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2. प्रार्थी को जाति किये गये जाति प्रस्ताव पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोपन संख्या : 200306903420

SDM-BIKANER-BIKANER

Signature valid

Digitally signed by Meenu Verma
Date: 2020.09.11 19:55:57
+05:30 (IST)
Reason: Approved
Location: Rajasthan





राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला- बीकानेर



" राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का समावेश "

संख्या 9/2/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste IOBCS/46806
दिनांक 07-07-2018

आवेदक का आधार नम्बर : NA
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 कुमारी रश्मि सोलंकी पुत्री श्री दीपेश सोलंकी राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- महिला मंडल स्कूल के सामने कुचीलपुरा के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त कुमारी रश्मि सोलंकी राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प. 11(164) आर.एण्ड पी./एस जे.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 13 वर्गों/वर्गों के/की सदस्य हैं।
- 03 उक्त कुमारी रश्मि सोलंकी आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेटर संबंधी राज्य सरकार के कार्यात्मक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(S)कार्यात्मक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेटर (सम्बन्ध वर्ग) का/की नदी है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ 21(37) एच के ई /असयू /ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी इमान-बद जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त इमान-बद डिजिटल द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं-इसलोकेशन के आधार पर जारी किया गया है। इसलोकेशन की समीक्षा के कोई विवाद होने पर इमान-बद कायम किया जा सकेगा।
3. इसी द्वारा प्रस्तुत किये गए सूत्र आवेदन बर एवं सम्बंधित दरमाकेजत विभे के सम्बंधित बटल अधिकारी विभेके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय से विपरीत/वैधिका के लिए उपलब्ध होगे।
4. यह इमान-बद डिजिटल हस्ताक्षरित है। आत सभी कार्यों के निवे माप है।
5. इसी को जारी किये गये इमान-बद का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सम्पादित किया जा सकता है।

" राज्य के पिछड़े वर्ग के निवे राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और हटो तथा राज्य की वैदिक संस्थानों में लीटो में अध्याप के इन्वेकमेंट ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
PRKASH
Date: 2018.07.07
03:04:11
Reason: ICM
Location: Rajasthan



1503072010087558

0715/73





दिनांक 10/3/2018
10346
10/3/18

पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र



शिवराज सिंह

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/श्रीमती शुभम लाल शर्मा
 पति/पत्नी/पुत्री श्री गोविन्द सिंह ग्राम/महल पुलवाडा
 जिला डिब्रीजन भारत सरकार द्वारा क्रमिक पं०
 (125) आर० एच० पी० सक्ति 4461 दिनांक 15-4-2001 से अधिसूचित राजस्थान
 राज्य के लिए पिछड़े वर्गों को अनुसूची में सम्मिलित वर्गों में से जाति
O.B.C वर्ग जाति का सदस्य है। श्री शुभम लाल शर्मा
 और उसका कुटुम्ब राज० जिला सबूर
 में स्थाई तौर से निवास करता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या पं० (9) क्रमिक
 क 5/90 दिनांक 14-4-2001 के साथ आरक्षित अनुसूची के स्तर में उल्लिखित अपवर्जन
 का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् उक्त अनुसूची में कथित व्यक्तियों / वर्ग
 (श्रीमतिपर) नहीं है।

मोहर :

शिवराज सिंह
 जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले के हस्ताक्षर
 राजसिंह-सबूर (राजसिंह)

Infinix HOT 10





उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला आजमगढ़
तहसील सगड़ी
आवेदन क्र० 181910030434832
प्रमाणपत्र क्र० 612183051111

जारी दिनांक: 12/11/2018

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री अजय यादव
श्री यादव सुरेंद्र कुमार कांता
श्रीमती लालमती देवी
, जमोद कपारगढ़ पोस्ट-कटिहारी
जमीन कपार गढ़
सगड़ी
आजमगढ़



उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय यादव पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ८० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शान्तादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: चंद्रा सिंह, सहज जन सेवा केन्द्र
पद: चंद्रा सिंह, केन्द्र प्रभारी
स्थान: बलुवा
, सगड़ी, BALUWA, आजमगढ़, आजमगढ़
दिनांक: 12/11/2018

Digitally Signed by
ARVIND KUMAR SINGH
O=Personal, S=Uttar
Pradesh
ARVIND
KUMAR
SINGH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
सगड़ी, आजमगढ़
दिनांक: 12/11/2018



हस्ताक्षर पंक्ति-सहज

यह प्रमाणपत्र डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिस्टम से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणपत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पढ़ने आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, प्रत्यापित किया जा सकता है।



OFFICE OF THE DY. COLLECTOR, MUMBAI AND MUMBAI SUBURBAN DISTRICT

(Form of Certificate to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste in support of his claim)

K-6316/02

No. MSC/SR/SC/ /200

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Shrimati/Kuarari Rishikesh Ravindra Lingayat
Son/Daughter of Ravindra Ramchandra Lingayat of Village Chembur
in District Mumbai Suburban of the State of Maharashtra belongs to the Hindu-Chambhar
Sr. No. 11 Caste which is recognised as a Scheduled Caste under :

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

(as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Order (Amendment) Act, 1967.

Shri/Shrimati/Kumari Rishikesh Ravindra Lingayat
and of his/her family ordinarily reside(s) in Village Chembur
of Mumbai Suburban District of the State of Maharashtra.

SCHEDULE

- 1 Application 30/12/02
- 2 Abstract from the Birth Register
- 3 School Leaving Certificate/Bonafide Certificate showing Caste as
- 4 Father's/Brother's/Sister's Caste Certificate issued by Ex-Magji-Kuria
- 5 Father's/Uncle's School Leaving Certificate
6. Samaj Certificate
- 7 Ration Card No 232853
8. Certificate of S.E.M.
9. Affidavit made for stay in Bombay since 1950 27/12/02

Place: Mulund

Date: 28/1/2003



[Handwritten Signature]
28-1-2003
RNB Global University Registrar

Add. Dist. Dy. Colln.
M. S. D. Anthoni

Note.—The term Ordinarily Reside(s) here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950. If it is later on found that the applicant has furnished incorrect or false information, this certificate is liable for cancellation.



RNB

GLOBAL UNIVERSITY

Educating stars for tomorrow

2.1.2.

Caste Certificates

2016-17

2016-2021

SSR : 1st Cycle of Accreditation

RNB GLOBAL UNIVERSITY

RNB Global City, Ganganagar Road,

Bikaner, Rajasthan 334601



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /22427047008
दिनांक:05-04-2022
आवेदक का आधार नम्बर :953617118893
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 5131400180

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री भुवनेश सैन पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार सैन , माता का नाम - श्रीमती ज्योति सैन , राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पत्ता - उदासर, बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उक्त श्री भुवनेश सैन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी.एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से S7 SAIN (57 सैन) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री भुवनेश सैन आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.वी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध न्यायिक ई-टस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्रवाई नहीं हो सकता।
- 3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज प्रमाण-पत्र एवं सम्बंधित टस्तावेजात जिले के सम्बंधित बटल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी पार्षों के तिरये मान्य है।
- 5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का महापत्र www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोल फ्री संख्या : 220-24-3396431

*राज्य के पिछड़े वर्ग के निचे राजस्थान सरकार के अधीन वेब.सी में विवरणियाँ और पढें तथा राज्य की अद्विष्ट इन्कॉर्पो में बीटी में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)

Signature valid

Digitally signed by SHOK
KUMAR
Date: 2022.04.05 12:04:18
+0530
Reason: signed
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)
ज़िला - बीकानेर
राज्य के अन्य विपदें वर्ग का प्रमाण-पत्र



संख्या: RJ/2017/राजस्थान विभाग/अन्य विपदें वर्ग /10199035292
दिनांक: 26-06-2019
आवेदन का आधार नम्बर : 078209455652
आवेदन / परिवार के मुखिया का आधारकार्ड फार्म संख्या : 9999-SSJV-00122

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01. श्री गौरव वर्मा पुत्र/पुत्री श्री योगेश वर्मा राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- 51, गांधी रोड गांधी नगर, वार्ड नं. 39, बीकानेर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
02. उक्त श्री गौरव वर्मा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी. /एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.03.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अल्प वित्त वर्गों की अधिसूचक अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 13 DARZI (13 दर्जी) वर्ग/जाति के/की निवासी हैं।
03. उक्त श्री गौरव वर्मा आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संघर्षी राज्य सरकार के अधिसूचना सं.प.2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7 (8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित क्रिमीलेयरों के मापदण्ड के अन्तर्गत क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एड.ई.डी./अन्य/ई.नी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की अनुमति प्रदान की गयी है।
 2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-हस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। हस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्रवाई किया जा सकता है।
 3. भार्यो द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित हस्तावेजात चित्ते के सम्बंधित प्रमाण-पत्रों के साथ हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 5. भार्यो को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emjprajasthan.gov.in पर क्लिक ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या : 190208584149
- *राज्य के विपदें वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधिनियमों में निम्नलिखित और पदों तथा राज्य की वैदिक संस्कृति के संरक्षण में आरक्षण के प्रावधान हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर, (बीकानेर)



Signature valid

Digitally signed by
KAILASH CHANDER
Date: 28.09.2019 11:08:13
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

00910296

EMJP



कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) डगली राजान (राजस्थान)
 क्रमांक : रोडर-मुलीय/2000/ 2248 दिनांक 9-5-08

जाति प्रमाण-पत्र

आवेदन लक्ष्मण कुमार के आवेदन पर दिनांक 9-5-08
 एवं आवेदक के स्वयं को/पिता को समाज पत्र दिनांक 9-5-08 तथा (1) अभिप्रायी अधिकारी प्रजापालिका
 हनुमानगढ़ (राजस्थान) (2) पटवार हल्का, पटवार मण्डल सडलीपुरा तहसील हनुमानगढ़ के जंच
 प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
 श्री पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री कुल्लू लाल
 जाति जट है एवं निवासी तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) का है।



समाज कल्याण विभाग राजस्थान द्वारा समय-समय पर प्रसारित अभिलेखनाओं के अन्तर्गत को
 तहसील एवं जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) का है।
 उप तहसीलदार (राजस्व)
 डगली राजान (हनुमानगढ़)
 तहसीलदार (राजस्व)
 हनुमानगढ़

स्थान : डगली राजान
 दिनांक : 9-5-08



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* अन्य विभागों की जाति प्रमाण पत्र *

संख्या R33/2013/Misc/Digital Caste (OBC)/20006

दिनांक 27-12-2013

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी Pragya Subha Ramawat पुत्री श्री Sunil Kumar Ramawat निवासी- gall no. 1 rampura basti lalgarh, Bikaner, जिला/खण्ड बीकानेर में स्थाई तोर से निवास करता है।

राजस्थान सरकार के कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994 तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक-

- ए-11 (125) और एच सी./स.क.नि./52307 दिनांक 06.08.1994, 12098 दिनांक 15.03.1997, 74065 दिनांक 03.11.1999,
- ए-11 (125)344 (5) और एच सी./स.क.नि./99/75681 दिनांक 12.11.1999,
- ए-11 (125)6) और एच सी./स.क.नि./01 दिनांक 01.01.2000, 153 दिनांक 02.01.2000, 459 दिनांक 10.01.2000, 22821 दिनांक 26.06.2001, 417, 45 दिनांक 20.08.2001,
- एच-11 (125) (1) और एच सी./स.क.नि./2002, 26706 दिनांक 24.06.2002,
- एच-11 (125) (1) और एच सी./स.क.नि./2002/26832 दिनांक 2002,
- एच-11 (125) (6) और एच सी./स.क.नि./09/47032 दिनांक 25.08.2009

अधिसूचना राजस्थान राज्य के लिये पिछड़े वर्ग संख्या व जाति 66 स्वामी के सदस्य हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना सं.प.9(8) कार्मिक-क-5/90 दिनांक 10.10.2008 के साथ उपाचन्द्र अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित उपा वर्ग का नियम उस पर लागू नहीं होता है अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों के क्रीमीलेयर का नहीं है।

नोट

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एच.21 (37) एच.से.ई./अनुसू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी इमान-बन्ध जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. टहसील इमान-बन्ध डिजिटल द्वारा उपरोक्त करने वाले ई-हस्ताक्षर के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है। टहसीलदार की इमानियता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर इमान-बन्ध खारेज किया जा सकता है।
3. इसी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन व एक सम्बन्धित टहसीलदार जिसे के सम्बन्धित बड़ा अधिकारी जिसके द्वारा प्रमाणित किया जायेगा के कार्यालय में विरोध/परिधान के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह इमान-बन्ध डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. इसी को जांच किये गये इमान-बन्ध का उपयोग www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online प्रमाणित किया जा सकता है।

तहसीलदार, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
Sudhar Sahasrayan
Date: 2013.12.27
04:42:35
Reason: C.M
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* राज्य के अन्य विद्युत कार्ड का प्रमाण पत्र *

संख्या: 83/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (080/42813)
दिनांक: 07-12-2015

आवेदक का आधार नम्बर : 21041702947
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाब्राह्म कार्ड संख्या : NA

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री लोफीक हुसैन पुत्र श्री अख्तर हुसैन राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- 9/15, मुन्ना प्रसाद नगर बीकानेर के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते है।
- 02 उपर श्री लोफीक हुसैन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प 11 (164) आर.एण्ड पी/एस.पे.ई.डी /09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकतम 10 अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 71 किमी. मुसलमान वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
- 03 उपर श्री लोफीक हुसैन आर.एण्ड.पे.डी. उपर वर्ग के डिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्यालय (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प. 7(8)कामिड/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार डिमीलेयर (समान वर्ग) का/की नहीं है।

शेष

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एन(21037) एन.के.ई. संख्या/दि.जे.708-85/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को साधक स्तर पर की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र विकीर्ण द्वारा उपलब्ध कराये गये है- राजस्थान के अखत पर जारी किया गया है। इस प्रमाण की आधिकारिता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र विकीर्ण विभाग पर रहेगा।
3. शर्तों द्वारा इनका विवेक ग्राह्य एवं अर्थात् प्रमाणित हस्ताक्षर करने के सम्बन्धित इस विकीर्ण विकीरे हस्ताक्षर को यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में विकीर्ण/डिजिटल के लिए उपलब्ध होगी।
4. यह प्रमाण-पत्र विकीर्ण द्वारा जारी है। जो सभी वर्गों के विवेक ग्राह्य है।
5. शर्तों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का साकारण www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online साकारण किया जा सकता है।

राज्य के विद्युत कार्ड के विवेक राजस्थान सरकार के अधिकारियों में विकीर्णों और इन्हें तथा राज्य की विकीर्ण संस्थाओं से इन्हें भी अद्यतन के विकीर्णकर्ता।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
PPKASH-101
Date: 2015.12.07
02:24:34 +05:30
Reason: SCM
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, झुझुनूं
जिला- झुझुनूं



* राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र *

क्रमांक 935/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/41175
दिनांक: 20-07-2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- 01 श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री आशाराम कुमावत राजस्थान राज्य के जिला झुझुनूं पता- वार्ड न.45 झुझुनूं के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री हेमन्त कुमार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11 (164) आर.एण्ड पी./एस जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 कुमावत वर्ग/जाति के/की सदस्य
- 03 उक्त श्री हेमन्त कुमार आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

- नोट:
1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एन 21(37) एन जे.ई./कम्प्यू./ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 2. उक्त उक्त प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कागज किया जा सकेगा।
 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रगत अधिकारी जिले के हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरोक्षण/बरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और बढ़ों तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।



तहसीलदार, झुझुनूं

Signature valid

Digitally signed by
JANGIR OM
PRAKASH
Date: 2015.07.20
01:29:01 CEST+05:30
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1505055510117984



कार्यालय तहसीलदार, उत्तरगढ़
बीकानेर, Rajasthan



FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD
CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS
UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

S.N: RJ3/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste OBC for Central/1677
Date: 07-09-2015

This is to certify that Mr. JAI KRISHNA S/o CHHOTU RAM of Village/Town CHAK 7
AWM TEHSIL CHHATTARGARH DISTRICT BIKANER in District/Division बीकानेर in the
State/Union Territory Rajasthan belongs to the 58 Jat Community which is
recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social
Justice and Empowerment's Resolution No. 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999,
20012/129/2009-BC-II dt 04/03/2014 *. Mr. JAI KRISHNA and/or his/her
family ordinarily reside (s) in the बीकानेर District/Division of the Rajasthan
State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the
Persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the
Government of India, Department of Personal & Training O.M. No. 36012/22/93-
Estt.(SCT) dated 08/09/1993**.

- *- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in
which the caste of the candidate is mentioned as OBC.
- ** - As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the
people Act, 1950.

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या एक 11 0 एससी एसटी ओबीसी 0
जा.प्र.प / डी.डी वीसी 2014 / 5776 दिनांक 11.11.2014 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के
लिए) जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. प्रार्थी को जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र (भारत सरकार की सेवाओं के लिए) का सत्यापन www.emitra.gov.in पर
स्थित on-line verification section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, उत्तरगढ़

Signature valid

Digitally signed by
BHANIRAM
Date: 2015.09.07
02:53:21 IST
Reason: OCM
Location: Rajasthan



11229987



1503153810012010



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों का समावेश पत्र *

संख्या: R/3/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/26036
दिनांक: 30-07-2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री गणेश प्रजापत पुत्र श्री नवरतन प्रजापत राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- नूरसिंह सागर बालाब के पास, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उपर श्री गणेश प्रजापत राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11 (164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 कुम्हार (प्रजापति) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

03 उपर श्री गणेश प्रजापत आरक्षण हेतु उपर वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एन.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू/ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं। हस्ताक्षर की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
3. शर्तों द्वारा इस्तफा किया गया प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित हस्ताक्षर जिले के सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जाएगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. शर्तों को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

*सब्सक्रिप्शन के लिये राजस्थान सरकार के ऑफिस लेटरहेड में विधिकीयों और बंदों तथा राज्य की सैद्धिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के इच्छुक वर्ग।

तहसीलदार, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
PACHAR RAM
CHANDRA
Date: 2015.07.30
05:29:25 +05'30
Reason: ACM
Location: Rajasthan





राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, बीकानेर
जिला- बीकानेर



* राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र *

क्रमांक: RI3/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (OBC)/26036
दिनांक: 30-07-2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

01 श्री गणेश प्रजापत पुत्र श्री नवरत्न प्रजापत राजस्थान राज्य के जिला बीकानेर पता- नरसिंह सागर तालाब के पास, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहीं स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री गणेश प्रजापत राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11 (164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 41 कुम्हार (प्रजापति) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त श्री गणेश प्रजापत आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एच.21(37) एस.जे.ई.डी./कम्प्यू./ई-सी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी इमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. उपरोक्त इमाण-पत्र क्रिमीलेयर द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर इमाण-पत्र धारित किया जा सकेगा।
3. हार्डी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेजात जितने के सम्बन्धित इतने अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जाएगा के आदेशन में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. यह इमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
5. हार्डी को जारी किये गये इमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

*यन्त्र के डिजिट वर्क के लिये राजस्थान सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और बढो तथा राज्य की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आवेदन के प्रयोजनार्थ।

तहसीलदार, बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by
PACHAR RAM
CHANDRA
Date: 2015.07.30
05:29:25 IST
Reason: CM
Location: Rajasthan



1503058510092018

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर, (जालोर)
जिला - जालोर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /22420201352
दिनांक: 22-03-2022
आवेदन का आधार नम्बर: 249967182210
आवेदन/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या: 4774640376

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल कुमार पुत्र/पुत्री श्री गणेश राम, माता का नाम - श्रीमती रम्बा देवी, गांव/नगर 87, सेदरिया बालोतान, सेदरिया बालोतान, आहोर, जालोर जिला/डिवीजन जालोर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अठमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पॉण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री यशपाल कुमार गांव/नगर 87, सेदरिया बालोतान, सेदरिया बालोतान, आहोर, जालोर जिला / डिवीजन जालोर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एस्.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराने वाले ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 220445676759

उपखण्ड अधिकारी, आहोर, जालोर

Signature valid

Digitally signed by
CHAMPA LAL JEEGAR
Date: 2022.03.22 19:31:05
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ,(श्री गंगानगर)
ज़िला - श्रीगंगानगर
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /18157030504
दिनांक: 17-12-2018
आवेदक का आधार नम्बर: 466917364228
आवेदक/परिवार के मुखिया का भागासह कार्ड संख्या: 9999-W99H-00247

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री मनिषा पत्र/पुत्री श्री ओम प्रकाश गांव/नगर नजदीक कल्याण भूमि वार्ड 4 सिधुवाला, 22 एस टी वी, 19 एसटीवी (रामसरा जाखड़ान), सूरतगढ, श्री गंगानगर जिला/डिवाजन श्रीगंगानगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 14 VALMIKI (14 वाल्मीकि) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अंश व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अंशगान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा आदेश 1962, संविधान (टाटरा तथा नागर हुजेमी) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (टाटरा तथा नागर हुजेमी) अनुसूचित जाति, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (मोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (मोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री मनिषा गांव/नगर नजदीक कल्याण भूमि वार्ड 4 सिधुवाला, 22 एस टी वी, 19 एसटीवी (रामसरा जाखड़ान), सूरतगढ, श्री गंगानगर जिला / डिवाजन श्रीगंगानगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट

1. यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 180163739709

उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ,(श्री गंगानगर)



Signature valid

Digitally signed by S. TA
SHARMA
Date: 2018.12.17 15:36:59
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
जिला-बीकानेर



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक RJ3/2017/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/2432
दिनांक 07-04-2017

आवेदक का आधार नम्बर : 272309990219
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : NA

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आकाशदीप पंडित पुत्र मधाराम पंडित गांव/नगर चुंगी चौकी बंगलानगर वार्ड न. 1 बीकानेर जिला/डिवीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **वालमीकि (14) जाति/समुदाय** का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) अंश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) अंश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अंश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) अंश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुविधा (संशोधन) अंश 1955, अर्थात् पुनर्गठन अधिनियम 1960, राज्यांत पुनर्गठन अधिनियम 1966, विभाजन अंश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अंश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति अंश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अंश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति अंश 1959, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति अंश 1962, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति अंश 1962, संविधान (पुद्दुचेरी) अनुसूचित जाति अंश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (अंतर प्रदेश) अंश 1967, संविधान (मि.अ. दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति अंश 1968, संविधान (मि.अ. दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति अंश 1968, संविधान (सातवाहण) अनुसूचित जनजाति अंश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी आकाशदीप पंडित गांव/नगर चुंगी चौकी बंगलानगर वार्ड न. 1 बीकानेर जिला/डिवीजन बीकानेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट

1. यह प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग की अधिसूचना सं एफ. 21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र फिरोरक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

Digitally signed by
NAMU RAM SAJANI
Date: 2017.04.07
11:43:13 IST
Reason: GCM
Location: Rajasthan



1703191510064148